न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 99/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00205

अपीलांटगण :—

1. श्रीमती फूलकंवर पुत्री विजयसिंहजी, पत्नी भंवरसिंहजी, जाति राजपुत निवासी थबुकड़ा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर (राज.)
2. श्रीमती छैलकंवर पुत्री विजयसिंहजी पत्नी उमरावसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :—

1. रतनसिंह पुत्र विजयसिंहजी जाति राजपूत निवासी सोनाईमांझी, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2. प्रतापसिंह पुत्र विजयसिंहजी, जाति राजपुत निवासी सोनाईमांझी, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
3. तहसीलदार महोदय पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 18-1-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 460 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा खसरा नम्बरान 450, 453, 454, 454/1 के संबंध में दिनांक 16.05.1989 को स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिताजी विजयसिंहजी का निर्वसीयती देहांत हो चूका है तथा उनके मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार अपीलाण्टगण एवं रेस्पोडेंटगण जीवित थे जो आज भी जीवित है। तथा अपीलांटस अपने ससुराल में रहती है अतः साल में एक–दो बार ही पिहर आना जाना होता है। ग्राम सोनाईमांझी के खसरा नम्बरान 450, 453, 454, 454/1 कुल रकबा 151 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमी में अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस के पिता विजयसिंहजी के चौथे हिस्से की खातेदारी काश्त व कब्जा सुद थी। तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स का विधिक वारिसान के तौर पर बराबर–बराबर हिस्सा है। अपीलांट्स स्व. विजयसिंह की विधिक उत्तराधिकारी है जो पत्रावली संलग्न जनाधार कार्ड की रसीद, पेन कार्ड व राशन कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेंट्स विजयसिंह की मृत्यु के बाद से संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है व काश्त की गई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में स्व. विजयसिंहजी का 1/4 हिस्सा खातेदारी का था जिसमें बाद में अन्य खातेदारान के साथ विभाजन करने पर खसरा नम्बर 454 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 454/8 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 454/9 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 37 बीघा 8 बिस्वा स्व. विजयसिंह के हिस्से की भूमी रही है। विधिक रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाते समय रेस्पोडेंट्स के साथ अपीलांट्स का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु तत्समय रेस्पोडेंट्स ने पटवारी, भू.अ.नि. व तहसीलदार से मिलावट कर अपीलांट्स को अपने हिस्से से महरूम रख केवल अपना नाम दर्ज कराया। अतः जैर अपील नामान्तरकरण निरस्तनीय है। उक्त अपील स्व.विजयसिंह के 1/4 हिस्से के संबंध में ही पेश की जा रही है, शेष 3/4 हिस्से [illegible] से कोई लेना देना नहीं होने से तथा उनसे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चा[illegible] बिना पक्षकार बनाये ही अपील पेश की गई है। जैर अपील नामा[illegible] टिस दिये, अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये, [illegible] की जांच किये प्राक[illegible]याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलांट्स के हक, ह[illegible] व अधिकारों पर [illegible]राघात करते हुए पारित किया जाने से प्रथमदृष्टया ही अवैध व शून्यवृत होने से अपास्त योग्य है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात अपीलांट्स ने अपने सगे भाई रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 पर कभी अविश्वास नहीं किया अतः वो इस मुगालते में रही की पिताजी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंटस के साथ उनका नाम राजस्व रेकर्ड में स्वतः ही दर्ज हो जायेगा। अपीलांट्स जब पीहर आती

क्रमशः.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2022.01.30 09:36:08 IST
Reason: SelfAttested

थी तो हर वर्ष दोनों भाई फसल की उपज का हिस्सा नकद में देते थे परन्तु गत वर्ष हासल नहीं देने पर अपीलांट्स रेस्पोडेंट संख्या 2 के यहां आई व हासल नहीं देने बाबत ओलबा दिया तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि की नकलें निकलवाकर जानकारों का दिखाने पर जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ व पर्दानसीन महिलाएं है व कानून की जानकारी नहीं होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दोनों बहनों को धोखे व अंधेरे में रखकर जैर अपील नामान्तरकरण पारित करवा दिया जिस बाबत जानकारी दिनांक 12.06.2017 को जमाबंदी की नकल मिलने पर अपील प्रस्तुत की गई है अतः अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंटगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित है उनके विरूद्ध बहस वकील अपीलांट की सुनी गई। हाजिर अदालत सरकारी पैरोकार ने म्याद के प्रश्न पर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 460 दिनांक 16.5.1989 को पारित किया गया तथा अपील 2017 में पेश की गई जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली में बहस सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु दो है :-

1. क्या अपील अन्दर म्याद है ?
2. क्या नामान्तरकरण भरते समय विधिक उत्तराधिकारियों का नाम छोड़ दिया गया ?

अपीलांटगण के पिता की खातेदारी भूमी में हक अधिकारों का प्रश्न होने से तथा खातेदार की मृत्यु के पश्चात विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं करने से नामान्तरकरण ab initio void होने से म्याद के बिन्दु पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

किसी व्यक्ति के फौत होने पर पुत्र, पुत्रियां, पत्नी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना था विजयसिंह की मृत्यु होने पर उसके जायन्दा पुत्र रतनसिंह व प्रतापसिंह का नाम तो जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया लेकिन स्व. विजयसिंह की जायन्दा पुत्रिया अपीलांट संख्या 1 व 2 फूलकंवर व छैलकंवर जीवित थी तथा आज भी जीवित है जिनका नाम भी जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर अधिनस्थ नायब तहसीलदार, पाली द्वारा नामान्तरकरण पारित कर भारी विधिक त्रुटि की है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्व. विजयसिंह के वारिसान की जांच नहीं की गई तथा उनको बिना सुने ही अपनी मर्जी से जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। इससे यह अपीलांट्स स्व. विजयसिंह की जायन्दा पुत्रियाँ है यह पत्रावली संलग्न उनके जनाधार कार्ड की रसीद, पैन कार्ड व राशन कार्ड की प्रति से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है। इस प्रकार का जैर अपील नामान्तरकरण ab initio void होने से ऐसे प्रारम्भ से शुन्य नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 460 दिनांक 16.05.1989 ग्राम सोनाईमांझी जो नायब तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है। एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय विजयसिंह के विधिक वारिसान की बाद जांच उन्हें व सभी खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:08 IST
Reason: SelfAttested